सराहनीय कार्य

आज दिनांक 01.11.2020 को समय लगभग 13.00 वजे श्रीमती संगीता साहू पत्नी श्री सूरज साहू निवासिनी मौ0 चूना भट्टी डवरा पारा थाना गंज जनपद रायपुर छत्तीसगढ अपनी गोद में एक वर्षीय पुत्र भावेश को लेकर चौकी सिविल लाइन थाना कोतवाली पीलीभीत पर पहुंची और उन्होने एक पर्ची में मो0नं0-8744941792 मो0नं0-8512862654 (अजीम) मो0नं0-8718780259 (शवनम) के प्रस्तुत किये तथा वताया कि मै आज से एक माह पूर्व विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन प्लेट फार्म नं0-1 में मौजूद थी और मेरे साथ मेरा आठ वर्षीय वेटा आयुष भी था मेरा वेटा भीख मांगकर लाता था उसी से हम खा पीकर प्लेट फार्म पर लेटे रहते थे डेढ माह पूर्व मेरा वेटा आयुष गायव हो गया जो नही मिला हैं और तलाशते तलाशते मैं पीलीभीत आयी हूँ । मेरा वेटा दिला दिया जाये इसी सूचना पर जनपदीय सर्विलांस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगाया गया तथा लोकेशन मो0नं0-8512862654 (अजीम) की टावर जामा मजिस्द निकट पीलीभीत प्राप्त हुई तभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चौकी प्रभारी सिविल लाइन उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र मय टीम प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती विजया सिरोही मय टीम व सर्विलांस दल को वच्चे की वरामदगी हेतु लगाया गया ।

मो0नं0-8512862654 (अजीम) से फोन पर वार्ता की गयी तो श्रीमती शवनम पत्नी श्री अजीम निवासिनी मौ0 नई वस्ती गाजी मियां की मजार चन्दोई थाना कोतवाली पीलीभीत ने वताया कि लडका आयुष उम्र-08 वर्ष मेरे पास हैं और उसकी मम्मी श्रीमती संगीता के द्वारा मैं अपने पास दि0-19.09.20 को लायी थी ।मैं अभी वच्चे को लेकर थाना कोतवाली पहुंच रही हूँ श्रीमती शवनम अपने पति अजीम पुत्र मौ0 शाकिर निवासी उपरोक्त अपने साथ लडका आयुष को साथ लाकर प्रस्तुत किया । जांच से पाया गया कि श्रीमती संगीता अपने वेटे आयुष उम्र-08 वर्ष के साथ अपने मूल गांव छत्तीसगढ से विशाखापट्टनम में भीख मांगती थी और प्लेट फार्म नं0-1 के फुटपाथ पर लेटती थी उसी समय श्रीमती शवनम व उसके पति श्री अजीम जो विशाखापट्टनम में पर्स व कपडे की फेरी लगाते थे और फुटपाथ पर ठहरते थे दोनो की मुलाकात हो गयी दोनो महिलाये वच्चे व पति के साथ फुटपाथ पर रहने व एक साथ खाने पीने लगे ।

दि0-19.09.20 को श्रीमती संगीता अपने वेटे आयुष उम्र-08 वर्ष गोद के वेटे भावेश उम्र-01 वर्ष व श्रीमती शवनम व अजीम एक साथ रेल से आगरा तक आयी थी और श्रीमती संगीता ने गरीवी के कारण अपना वच्चा अनाथ आश्रम में देना चाहती थी तभी श्रीमती शवनम व उसके पति अजीम ने मना किया और कहा कि ऐसा मत करो मेरे कोई वेटा नही हैं यह वेटा मुझे दे दो मैं इसे पाल लूँगी और जव वताओगी तव वेटा आयुष को लेकर आपके पास पहुंचूगी । तभी श्रीमती शवनम ने अपने मोवाइल नंम्वर लिखकर एक पर्ची पर श्रीमती संगीता साहू को दे दिये थे और श्रीमती शवनम अपने पति अजीम व वेटे आयुष उम्र-08 वर्ष को लेकर पीलीभीत आ गयी थी वेटा आयुष उम्र-08 वर्ष श्रीमती शवनम व उसके पति अजीम के साथ स्वस्थ हालत में इनके साथ रहता रहा जिसे किसी ने चोरी नही किया था वल्कि उसकी मां श्रीमती संगीता साहू द्वारा श्रीमती शवनम व उसके पति अजीम उपरोक्त को दि0-19.09.20 को दिया गया था । पुलिस सूचना फोन पर मिलते ही स्वयँ थाना लेकर उपस्थिति हुई थी ।

वेटा आयुष उम्र-08 वर्ष अपनी मां श्रीमती संगीता साहू के साथ कभी जाने को तैयार होता हैं और कभी-कभी श्रीमती शवनम व उसके पति अजीम के साथ जाने की वात कहता हैं ऐसी स्थिति में मा0 प्रधान न्यायाधीश वाल कल्याण समिति पीलीभीत के समक्ष नावालिग वच्चा आयुष उम्र-08 वर्ष को प्रस्तुत करने की कार्यवाही अमल में जा रही हैं।

वरामदगी पुलिस टीम

(1) उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र चौकी प्रभारी सिविल लाइन थाना कोतवाली पीलीभीत
(2) हे0का0 242 कप्तान सिंह चौकी सिविल लाइन थाना कोतवाली पीलीभीत
(3) का0 177 महीपाल सिंह चौकी सिविल लाइन थाना कोतवाली पीलीभीत
(4) का0 देवेन्द्र सिंह सर्विलासं टीम कैम्प कार्यालय पीलीभीत

वरामदा वच्चा

1.आयुष उम्र-08 वर्ष पुत्र सूरज साहू